जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

177/15

A3

अपील सूचना अधि. सं0 177/2015 अनवानी श्री जे. आर. चौधरी पुत्र श्री भींयाराम जाति जाट निवासी पटेलनगर, आई टी आई के पीछे, पुरानी शिवबाड़ी रोड़, बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

31–03–2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जे. आर. चौधरी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी श्री जे. आर. चौधरी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2015 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:–

> आपके क्षेत्राधिकार में ग्राम 5 पीजीएम नाहरावाली रोड के कृषि मुरब्बा न0 290/447 तहसील अनूपगढ में किला न0 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 व 22 में 0.493 हेक्टर भूमि का व्यवसायिक/आवासीय परिवर्तन (रूपान्तरण) आपके आदेश सं0 609 ता0 25.03.2008 द्वारा किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति भिजवाने व सूचना देने का कष्ट फरमावें।

अपीलार्थी श्री जे. आर. चौधरी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2015 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा प्रतिवेदन संख्या 1486 दिनांक 28.12.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी श्री जे.आर.चौधरी का सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 29.09.2015 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई ग्राम 5 पीजीएक के मु0न0 290/447 की भूमि रूपान्तरण पत्रावली की प्रमाणित प्रति के संबंध में पत्र सं0 1163 दिनांक 05.10.2015 से उसे सूचित कर दिया था कि उक्त पत्रावली पत्र सं0 567 दिनांक 23.04.2007 से जिला कलक्टर महोदय को भिजवाई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी उप अभिलेखागार अनूपगढ द्वारा पत्र सं0 रिकार्ड/सू.का.अधिकार/15/1163 दिनांक 05.10.15 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया है:–

> आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई ग्राम 5 पीजीएम नाहरावाली रोड के कृषि मुरब्बा न0 290/447 में भूमि का व्यवसायिक/आवासीय परिवर्तन (रूपान्तरण) संख्या 609 तारीख 25.03.2008 की पत्रावली की प्रति चाही है।
>
> हरीराम पुत्र श्री बींझाराम जाति मेघवाल साकिन 5 पीजीएम का मु0न0 290/447 की भूमि रूपान्तरण की पत्रावली इस कार्यालय के पत्रांक : भू.रू./07/567 दिनांक 23.04.2007 से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को भिजवाई हुई है जिसके कारण प्रमाणित प्रति दी जानी संभव नही है सूचनार्थ प्रेषित है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

177/15
A3/2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2''च'' के तहत सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो अर्थात लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में हो। चूंकि अपीलार्थी द्वारा जिस अभिलेख की सूचना चाही गई है वह अभिलेख उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के कार्यालय में उपलब्ध नही है जिसके बारे में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा प्रार्थी को पत्र सं0 रिकार्ड/सू.का.अधिकार/15/1163 दिनांक 05.10.15 द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर